Seventeenth Loksabha

p>

Title: Request government to provide adequate compensation to the farmers whoes land have been acquired for National Highway No. 233.

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में एक अति महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं जो मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-233 केराकत तहसील से जुड़ा है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले सात सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 के प्रभावित गांवों के 184 एकड़ भूमि के लगभग हजारों किसानों का प्रताड़ित किया जा रहा है ।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 19 मई, 2012 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा 18 मई, 2013 को '3ए' का प्रकाशन हुआ । दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को सक्षम अधिकारी द्वारा दस राजस्व गांवों की दर निर्धारित की गई थी, जिससे असंतुष्ट होकर समस्त प्रभावित किसानों ने जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई करते हुए, जिलाधिकारी द्वारा 17 मई, 2017 को न्यूनतम दर को निरस्त करते हुए पुन: दर निर्धारित करने के लिए आदेश पारित किया गया । तत्पश्चात् सक्षम पदाधिकारी द्वारा 26 अगस्त, 2017 को 18 ग्रामों का निर्णय घोषित किया गया था, लेकिन आज तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला है ।

सभापति महोदय, किसान परियोजना के विरोधी नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 से केराकत तहसील के प्रभावित किसानों को उचित दर से मुआवजा दिलाने की कृपा करें, जिससे किसान संतुष्ट हो सकें ।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।